न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

आंगनवाड़ी अपील वाद– 05/2016

पुनम कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य

आदेश

29.3.18

प्रस्तुत वाद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में दायर वाद संख्या– 24/2013–14 में पारित आदेश दिनांक– 24.02.2014 के विरूद्ध श्रीमती पुनम कुमारी के द्वारा क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के न्यायालय में 176/14 दाखिल किया गया जो समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्गत पत्र संख्या– 3226 दिनांक–11.08.2015 में वर्णित संशोधित निदेश कंडिका– 10/10.4 तथा 10/10.7 के आलोक में अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में हस्तान्तरित किया गया हैं।

अपीलार्थी का कहना है कि सहरसा जिला अन्तर्गत महिषी प्रखण्ड के ग्राम पंचायत मनोवर के आंगनवाड़ी केन्द्र मल्लाह टोला वार्ड नं0–13 केन्द्र संख्या– 35 के सेविका पद के चयन हेतु बाल विकास परियोजना कार्यालय, महिषी द्वारा विज्ञापन निकाला गया, जिसके अनुरूप अपीलार्थी सभी अहर्त्ताओं को पुरा करती थी। इसलिए अपना आवेदन कार्यालय में जमा कि, जिसका प्राप्ति रसीद संख्या– 42 है। अपीलार्थी के अलावे एक अन्य अभ्यर्थी विपक्षी संख्या–5 कविता कुमारी आवेदन दाखिल कि थी, जो पोषक क्षेत्र से बाहर वार्ड नं0–14 की रहने वाली है। मेधा सूची का प्रकाशन किया गया। अपीलार्थी पोषक क्षेत्र के वर्ग बाहुल्य से एक मात्र अभ्यर्थी थी, जिस अनुरूप मेधा सूची में सर्वोच्च स्थान पर थी। निर्धारित आम सभा की तिथि दिनांक– 29.07.2013 को मध्य विद्यालय, मनोवर के प्रांगण में आम सभा का आयोजन प्रतिनियुक्त पदाधिकारी–सह–पदेन सचिव, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा विपक्षी संख्या–3 की उपस्थिति में व विपक्षी संख्या–4 वार्ड नं0–13 के पंच अगड़िया देवी की अध्यक्षता में की गई। चूँकि उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र से वर्ग बाहुल्य की एक मात्र अभ्यर्थी आवेदिका हीं थी, जो सभी अहर्त्ताओं को पुरा करती थी। इसलिए आम सभा द्वारा आवेदिका के नाम की चयहन की घोषणा की गई। यद्यपि, बाल विकास पदाधिकारी, कहरा द्वारा यह बताया गया कि आवेदिका का उम्र कम है। जबकि आवेदिका का उम्र आम सभा की तिथि को 18 वर्ष 05 महीना 14 दिन होता था और तब विपक्षी संख्या– 5 कविता देवी के आवेदन पर विचार किया गया। चूँकि विपक्षी संख्या–5 कविता देवी पोषक क्षेत्र के बाहर वार्ड नं0–14 की रहने वाली है व उसके पति के सहोदर बड़ा भाई श्याम मुखिया मनोवर मध्य विद्यालय में शिक्षक है तथा जेठानी सरिता कुमारी घोंघेपुर पंचायत के शंकरथुआ विद्यालय में पंचायत शिक्षक है, जिसका चयन मार्गदर्शिका के अनुरूप नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आम सभा द्वारा उनके चयन का विरोध किया गया व आम सभा में निर्णय लिया गया कि आवेदिका हीं एक मात्र अभ्यर्थी इस पोषक क्षेत्र से है, जिसका उम्र आम सभा की तिथि को 18 वर्ष से ऊपर है, जिसका चयन किया जाना सही है। प्रतिनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कहरा द्वारा आम सभा में घोषणा की गई कि वरीय पदाधिकारी से मंतव्य लेकर चयन पत्र दिया जायेगा व आम सभा की कार्रवाई को समाप्त कर दिया गया व आवेदिका को बताया गया कि 07 दिनों के अन्दर उसे चयन पत्र मिल जायेगा। जब आवेदिका 07 दिनों के बाद विपक्षी संख्या– 02 के कार्यालय गयी तो पता चला कि आम सभा के निर्णय के मुताबिक बिना किसी वरीय पदाधिकारी के मंतव्य मांगे घोर अनियमितताएँ कर आवेदिका के स्थान पर विपक्षी संख्या–5 कविता कुमारी को चयन पत्र दे दिया गया व मनमाने व गलत रूप से चयन कर दिया गया, तब अपीलार्थी उक्त संदर्भ में अनेकों वरीय पदाधिकारी को उक्त आशय की सूचना आवेदन से दी व मार्गदर्शिका में वर्णित प्रावधानों के अनुकूल निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सहरसा के न्यायालय में आंगनवाडी वाद संख्या– 24/2013–14 दाखिल कि। विपक्षी संख्या– 05 कविता कुमारी न्यायालय में उपस्थित होकर अपने जवाब व बहस में यह स्वीकार की कि वह पोषक क्षेत्र से बाहर वार्ड नं0– 14 की रहने वाली है तथा उसके भैसुर मनोवर मध्य विद्यालय में शिक्षक में तथा जेठानी शंकरथुआ प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। बावजूद इसके विपक्षी को परिवार से अलग रहने का व सम्पत्ति के बँटवारा का गलत प्रख्यापन कर विपक्षी संख्या– 5 कविता कुमारी के गलत चयन को बरकरार करते हुए वाद संख्या– 24/13–14 में दिनांक– 24.02.2014 को आदेश पारित करते हुए खारीज कर दिया गया, जिससे असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह वाद दायर किया गया है। अन्ततः अपीलार्थी का कहना है कि निम्न न्यायालय का आदेश रद्द करते हुए विपक्षी कविता कुमारी के चयन को रद्द करने एवं अपील आवेदन स्वीकृत करने की याचना की हैं।

विपक्षी संख्या–5 कबीता कुमारी का कहना है कि आवेदिका का चयन आम सभा में नहीं किया गया, न हीं उसके नाम की कोई घोषणा की गई और न ही आवेदिका किसी कार्यालय गई और हीं आम सभा में किसी प्रकार की अनियमितता बरती गई और न हीं मनमाने व गलत ढंग से प्रतिपक्षी संख्या–5 का चयन किया गया, बल्कि आवेदिका एवं विपक्षी संख्या–4 ने ग्राम पंचायत मनोवर के आंगनवाड़ी केन्द्र संख्या– 35 मल्लाह टोला वार्ड नं0–13

29.3.18

में स्थित है आंगनवाड़ी सेविका हेतु अपना आवेदन पत्र दाखिल कि, और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय, महिषी द्वारा मेधा सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें आवेदिका को विपक्षी से कम अंक होने की वजह से दूसरा स्थान प्राप्त हआ व आम सभा का आयोजन दिनांक– 27.07.2013 को सम्पन्न हुआ। विपक्षी चूँकि सभी अर्हर्त्ताओं को पुरी करती थी, जिस वजह से विपक्षी का चयन किया गया और प्रशिक्षण प्राप्त कर सरकारी कार्यक्रमों को विधिवत पूर्वक आंगनवाड़ी केन्द्र का संचालन करती आ रही हैं।

विपक्षी का आगे कहना है कि आवेदिका ने अपने अपील के कण्डिका–3 में वर्णन की है कि आवेदिका की उम्र आम सभा की तिथि को 18 वर्ष 5 महीना 14 दिन होता था, जबकि विज्ञापन का प्रकाशन वर्ष 2012 का है, जो आंगनवाड़ी मार्गदश्रिका के कण्डिका– 4.4 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सेविका पद के रिक्ति के विज्ञापन के प्रकाशन वर्ष प्रथम जनवरी को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी। आवेदिका के प्रमाण–पत्र के अनुसार उनका जन्म तिथि 15.02.1995 है, जिस वजह से दिनांक– 01.01.2012 को उसका उम्र 16 वर्ष 09 महीना 17 दिन हीं होता है। समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 114 दिनांक– 17.01.2011 में प्रधान सचिव द्वारा जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को महिला पर्यवेक्षिका के रिक्त पद पर नियोजन के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया कि जहॉ तक सेविका चयन 18 वर्ष की रही हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि आवेदिका ने अपने कम उम्र होने के बावजूद छल पूर्वक सेविका पद हेतु अपना आवेदन दाखिल की वो इसके पीछे उसकी गलत मंशा अपनी उम्र को छुपाकर सेविका पद को प्राप्त करना रहा हैं। जिस वजह से आवेदिका इस पर हेतु आवेदन पत्र दाखिल करने के योग्य हीं नहीं थी, तो आखिर आम सभा में उनके चयन का कोई प्रश्न हीं नहीं उठता हैं। आवेदिका द्वारा कंडिका 3 में इस बात पर काफी बल दिया गया है कि विपक्षी संख्या– 5 पोषक क्षेत्र से बाहर वार्ड नं0–14 की रहने वाली है तथा उसके पति के सहोदर बड़ा भाई श्याम मुखिया मनोहर मध्य विद्यालय में सहायक शिक्षक है तथा जेठानी घोंघेपुर पंचायत के शंकरथुआ विद्यालय में पंचायत शिक्षिका है, जिससे उनका चयन मार्ग दर्शिका के अनुरूप नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में विपक्षी संख्या–5 कथन करती है कि वार्ड नं0–14 की स्थायी सदस्य है और आंगनवाड़ी मार्गदर्शिका के कण्डिका– 4.6 के अनुसार आंगनवाड़ी केन्द्र पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में उक्त आंगनवाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि में जहॉ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, चयन प्रक्रिया अपनाए जाने का प्रावधान है। चूँकि आवेदिका सर्व प्रथम निर्धारित आयु सीमा से कम होने के कारण इस महिला जन प्रतिनिधि के खास रिश्तेदार होने कारण इस पद के योग्य नहीं थी, जिस वजह से चयन समिति द्वारा मार्गदर्शिका के कण्डिका का अक्षरशः पालन करते हुए विपक्षी का चयन आंगनवाड़ी पद हेतु किया गया। विपक्षी ने आगे कहा कि मार्गदर्शिका 4/4.9 के प्रावधान के अनुसार संविदा अथवा मानदेय आधरित कर्मचारी या पदाधिकारी जिसकी मासिक आय 6 हजार रूपये या उससे कम है उसके उपर यह कण्डिका लागू नहीं होती है। चूँकि आवेदिका के पति के सहोदर बड़ा भाई श्याम मुखिया एवं जेठानी सरिता कुमारी मानदेय आधारित नियोजित शिक्षक है, जिसका मासिक वेतन दिनांक– 31.08.2013 को निर्गत प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, महिषी के नियत वेतन विवरणी के अनुसार 6 हजार रूपया है तथा वेतन विवरणी प्रमाण पत्र प्राप्त है, जिस आधार पर वे 6 हजार रूपया मानदेय प्राप्त करते है, जिस वजह से कण्डिका 4/4.9 में वर्णित प्रावधान उनके विरूद्ध लागू नहीं होते। विपक्षी के पति को उनके परिवार के अन्य सदस्य वर्ष 2008 में हीं परिवार से अलग कर चुके हैं। विपक्षी के पति के हिस्से की जमीन भी दिनांक– 10.01.2008 को बंधक कर दिया गया था और विपक्षी के परिवार में वर्ष 2006 में ही विधिवत बॅटवारा हो गया था और आंगन से ही बाहर अलग जीवन बसर करती है। पारिवारिक सदस्य से कुछ भी लेना देना नहीं हैं। साथ हीं, आवेदिका द्वारा यह भी छुपाया गया है कि आम सभा की अध्यक्षता उस वार्ड के पंच द्वारा क्यों किया गया, जो उनके रिश्तेदारी में हैं का जिक्र करते हुए दाखिल अपील को खारीज करने की याचना की हैं।

उभय पक्षों को सुना। अभिलेख तथा संलग्न कागजातों का अवलोकन किया। पुलिस कार्रवाई में भी पति के बड़े भाई के पास ऑगनवाड़ी दस्तावेज का मिलना तथा वर्षर 2012 के बॅटवारे का शपथ पत्र सिर्फ नियोजन के उद्धेश्य से बनाया गया प्रतीत होता हैं।

अतः अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई०सी०डी०, सहरसा को निदेश दिया जाता है कि उक्त केन्द्र पर नये सिरे से पुनः चयन की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

22.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।

22.3.17

जिला पदाधिकारी,
सहरसा।